

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई - अगस्त, 2000 सत्र

## विनिक विधायी सूची

सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 2000 (श्रावण 9, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रबन्धन

पृथक्ष्य: वितरित सूची में सम्मिलित प्रबन्ध पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौधेरी, सामाजिक प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 723 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का (दिनांक 1.4.98 से दिनांक 31.3.99 तक) बयानीसंबंधी वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन घास आकर्षण

(1) श्रीमती सुधा जैन, सर्वश्री केवारनाथ शुक्ल, अमर अमवाल, सदस्य, सागर नगर में हृत्या की घटित अनेक घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री संजीव शाह, सदस्य, राजनीतिक जिले के ग्राम कीड़ीकरण स्थित शाला भवन के निर्माण में की गई अनियमितता की ओर आदिम जाति कल्पणा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 91-पाल (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री राम विजार नेताम् को जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2000 से दिनांक 4 अगस्त, 2000 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

### 5. शासकीय विधि विवरक कार्य

(1) श्री रत्नेश सोलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश अशास्त्रीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के बेहनों का संबाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया जाय— चर्चा का पुनर्रूपण।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

निर्धारित समय  
समय (2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय।

1 घन्टा  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.  
(3) श्री धनेन्द्र साह, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 6. नियम 139 के अधीन अधिलमनीय लोक महत्व के विवर पर चर्चा

1 घन्टा  
30 मि.  
प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बुजमोहन अमवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेषवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लक्ष्मेश सिंह, नारायण प्रसाद चैतेल, अमर अमवाल, मुमा सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिकारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

के.वी. विजार  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा,

भोपाल :  
दिनांक : 30 जुलाई, 2000